



टीचर कम्पैनियन शीट

मूल्य : स्वतंत्रता

शिक्षकों के लिए



Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi

A. स्वतंत्रता

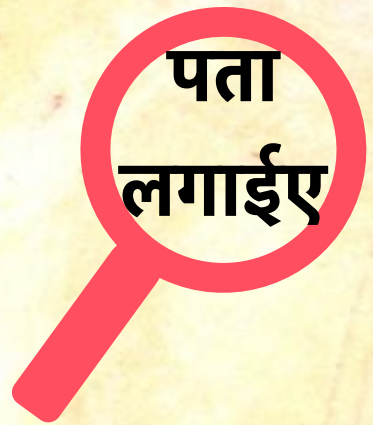
सो

चिए आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले, आपको नोएडा में अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से प्रवेश करने की अनुमति लेनी होगी। यदि आप परमिट के बिना यात्रा करते हैं तो आपको अपराधी घोषित किया जा सकता है। एक शहर से दूसरे शहर में प्रत्येक यात्रा को स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा अनुमति दी जानी है।

क्या अब आप दमन और घुटन महसूस कर रहे हैं ?

क्या आपको लगता है कि ऐसे नियम हो सकते हैं ?

‘राइट टू लिबर्टी’ का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के लिए सही ‘चुनने’ की स्वतंत्रता मिले। ‘स्वतंत्रता’ शब्द का अर्थ है, व्यक्तियों की गतिविधियों /क्रियाकलापों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार सबसे बुनियादी मानव अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा ही एक व्यक्ति वास्तव में एक व्यक्ति है। स्वतंत्रता वास्तव में मनुष्य के लिए गरिमा के साथ जीवन जीने और उसे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।



स्वतंत्रता के सिद्धांत को लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल के दो निर्णय कौन से दिए हैं ?

अभियान का उद्देश्य:

1. इस अभियान में सभी गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल से सीखने का अनुभव और अवसर प्रदान करना है।
2. स्वतंत्रता सर्वे को विद्यार्थी द्वारा करने का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वह आँकड़े और सूचनाएँ इकट्ठा कर लाये बल्कि इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्य को समझते हुए वह उसका आनंद लें और उसके भाव को समझे।

B. स्वतंत्रता कंसेप्ट मैप (प्रस्तावना से उद्धृत)

संविधान की **प्रस्तावना** में दिए गए सिद्धांतों में स्वतंत्रता जोकि मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, को मौलिक अधिकारों के मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है।



- **विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** वह है जिसमें एक व्यक्ति जो सोचता है, वह खुलकर बोलने और लिखने की उसे स्वतंत्रता है, बशर्ते वह शालीनता और नैतिकता का उल्लंघन न करे और साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए।
- **धार्मिक आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता** जिसमें किसी को अपनी आस्था और विश्वास को चुनने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता के साथ ही उसे पूजा, विश्वास आदि को मानने की भी स्वतंत्रता है।
- **भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता** जिसमें व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन करने और देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता है।
- **अस्त्र-शस्त्र रहित व शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता** जिसमें व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ आने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह शांति से और बिना हथियारों के ही होनी चाहिए।
- **समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता** जिसमें व्यक्ति को अपने आप को संगठित करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जोकि देश के कानूनों के अधीन है।
- **व्यवसाय की स्वतंत्रता** जिसमें व्यक्ति को किसी व्यापार और पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता है।

नोट : धार्मिक आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। शेष सभी उपरोक्त स्वतंत्रताएँ अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं।

C. स्वतंत्रता के महीने की गतिविधियाँ

स्वतंत्रता के मूल्य की समझ सम्बन्धी सर्वे

1. स्वतंत्रता महीने की शुरुआत में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ स्वतंत्रता सम्बन्धी विभिन्न आयामों को कांसेप्ट मैप के जरिये चर्चा की जाएगी।
2. इसके बाद एक-सर्वे के माध्यम से विद्यार्थी स्वतंत्रता से जुड़ी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों विचारों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे। विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय तथा अन्य लोगों के साथ अनुभवों को समझने के लिए इस विषय पर सर्वे के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करेगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्रता का क्या मतलब है और साथ ही साथ यह जान पाएंगे कि किस प्रकार अस्मिता और स्टेटस से स्वतंत्रता को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से असमान रूप से जीते हैं।
3. सर्वे के सवालों पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षक विषय पर चर्चा के दौरान विद्यार्थियों के साथ अपने प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) भी साझा कर सकते हैं। याद रखें एक अच्छा शिक्षक एक निरंतर सीखने वाला व्यक्ति होता है।

स्वतंत्रता आधारित खेल : एक्शन प्रोजेक्ट (केवल कक्षा 6 - 8 के लिए)

उद्देश्य:

विद्यार्थी खेल के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अनुभव करने में सक्षम होंगे। एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक धरातल पर इससे प्रयोग करने और समानुभूति प्रकट कर पाएँगे।

एक्शन प्रोजेक्ट किस प्रकार किया जाए :

1. खेल दूसरे सप्ताह में कक्षा और समुदाय में खेला जाएगा।
2. प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर उस पर काम करेगा।
3. एक्शन प्रोजेक्ट एक अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जायेगा, जो या तो उनके परिवार के सदस्य या मित्र आदि द्वारा हो सकता है।
4. विद्यार्थी अपनी डायरी में एक्शन प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन शीट पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे और लिखेंगे।
5. विद्यार्थी अपने सर्वे और गेम से जुड़े अनुभव कक्षा में साझा करेंगे और साथ ही साथ अपनी चुनातियों को भी बताएँगे जो उन्होंने इस खेल को करने में अनुभव की। अधिक विवरण नीचे 3 सप्ताह में दिए गए हैं।

सेटिंग टोन

‘वेयर द माइंड इज विदाउट फियर’, यह कविता रबीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गयी हैं जिसमे वे वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिसमे वे भेदभाव से मुक्ति, हर व्यक्ति की गरिमा, जबरन काम और दमन से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। इस कविता का वाचन लिबर्टी एक्शन प्रोजेक्ट की चर्चा के दौरान कक्षा में किया जाएगा।

सप्ताह 1

जहाँ मन बिना भय के होता है और सिर ऊँचा होता है
जहाँ ज्ञान मुक्त है
जहाँ दुनिया टुकड़े-टुकड़े नहीं हुई है
संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा
जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं
जहाँ बाहें अथक प्रयासों के द्वारा दक्षता की ओर ले जाती है
जहाँ तर्कों की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया है
मृत आदत की सुनसान रेगिस्तानी रेत में
जहाँ मन आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है
कभी सोच-विचार और कार्रवाई में व्यापक
स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे देश को जगा दो।

1. एक्शन प्रोजेक्ट 1 -

8 घंटे के लिए मौन उपवास पर रहें, जिसका अर्थ है, किसी के साथ कोई बातचीत (मौखिक या लिखित) नहीं; न ही आप कुछ लिख / पढ़ सकते हैं, और आपको अपने दैनिक कार्य / कार्यों को जारी भी रखना है।

2. एक्शन प्रोजेक्ट 2

अपने जूते के दोनों फीतों को एक साथ बाँधें। कक्षा के चारों ओर जैसा कि आप सामान्य रूप से करते हैं ... तो यह कैसा महसूस हुआ ..

दिव्यांग लोगों या वरिष्ठ नागरिकों के साथ कम से कम 2 लोगों से बात करें कि वे अपनी सीमितता के बारे में कैसा महसूस करते हैं और उनके इससे सम्बंधित क्या अनुभव है ?

3. एक्शन प्रोजेक्ट 3

अपने परिवार की किसी महिला सदस्य के बारे में विचार करें (महिला सदस्य आपकी माँ, बहन, रिश्तेदार, मित्र व पड़ोसी हो सकती हैं)। उनसे हाल ही में घटित हुई तीन अवसरों के बारे में पता लगाइए जब वह पढ़ाई, कार्य, घूमने या किसी अन्य कार्य के लिए घर से बाहर गई हों। उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने अनुमति, समय, सुरक्षा व बंदिशों का सामना कैसे किया? उन्हें उक्त स्थान तक जानें में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कुछ उत्तरों को लिखिए।

एक लड़की / महिला जिसे आप जानते हैं, उसकी स्वतंत्रता सम्बन्धी गति-विधि की चिंताओं को पहचानिए।

4. एक्शन प्रोजेक्ट 4

अपने पड़ोसियों के साथ एक छोटी सी बैठक / चर्चा का आयोजन करें जिसका मुद्दा हो कि दिल्ली में जब वे अन्य स्थानों से आकर बसे तो उन्हें क्या समस्या झेलनी पड़ी।

एक्शन प्रोजेक्ट का चयन:

विद्यार्थियों को अपनी पसंद के एक्शन प्रोजेक्ट को चुनने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी 4 एक्शन प्रोजेक्ट्स में सभी छात्रों के लिए अधिकतम सीखने के लिए पर्याप्त अवसर हो जिसे वे सप्ताह 2 में चर्चा करेंगे। शिक्षक नंबर देकर 1, 2, 3, 4, आदि द्वारा भी समूह बना सकते हैं और उन्हें एक्शन प्रोजेक्ट में विभाजित कर सकते हैं।

सर्वे का रिफ्लेक्शन

1. यह सप्ताह विद्यार्थियों द्वारा सर्वे से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर व्यक्तिगत और समूह द्वारा प्राप्त रिफ्लेक्शन को साझा करने के साथ शुरू होता है।
2. शिक्षक विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। सीखने के लिए व चर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रश्नों को शिक्षक द्वारा पूछा जा सकता है:
 - आपने अलग-अलग समूहों जैसे कि पुरुषों और महिलाओं, अमीर और गरीब में स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार के बारे में क्या सीखा? क्या यह समान है, या फिर इनमें कोई अंतर है?
 - आपको क्यों लगता है कि अलग-अलग लोग स्वतंत्रता को अलग तरह से अनुभव करते हैं?
 - व्यक्तियों की स्वतंत्रता में और इनमें बाधाओं को बढ़ावा देने या बनाने में सामाजिक नियमों, मूल्यों, परंपराओं और विचारों की क्या भूमिका है?
 - प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जिए, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है?

एक्शन प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्शन (केवल कक्षा 6 - 8 के लिए)

जब विद्यार्थी अगले सप्ताह लौटते हैं, तो उन्हें सामान्य एक्शन प्रोजेक्ट समूहों में शामिल करें। समूहों में वे साझा करते हैं कि क्या अच्छा हुआ और एक्शन प्रोजेक्ट्स करने में उनकी क्या चुनौतियाँ रही? उन्होंने परियोजना से अपने सीखने और स्वतंत्रता के बारे में क्या सीखा? इस पर भी वे चर्चा करते हैं। कुछ मिनटों तक ऐसा करने के बाद, एक्शन प्रोजेक्ट समूहों में से प्रत्येक समूह के एक सदस्य के अनुभवों का सारांश साझा करने को कहें।

फैसिलिटेटर एक बड़े समूह चर्चा में निम्नलिखित सवालों के साथ विद्यार्थियों की समझ को बढ़ावा दे सकते हैं:

- मौन व्रत करने पर आप किस प्रकार मजबूर हो गए थे और आप क्या क्या करना चाहते थे? ऐसा करने में आपको कैसा लगा? क्या आप दूसरों को ऐसा महसूस कराना चाहेंगे?
- आपने अलग-अलग लोगों से कैसे बात की? (महिलाओं, अलग-अलग तरह के वरिष्ठ नागरिकों)। उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव कैसे किया है और उनकी क्या क्या बाधाएं थी?
- हम सभी के लिए स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? हम इस संदेश को कैसे फैला सकते हैं?

सप्ताह 2

फैसिलिटेटर एक्शन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अनुभवों को सारांशित करता है, और समाज में उपस्थित स्वतंत्र सम्बन्धी बारीकियों को समझाता है।

एक्शन प्रोजेक्ट 1 स्वतंत्रता की अनुपस्थिति किस प्रकार और कैसे हमें प्रभावित करती है? एक्शन प्रोजेक्ट 2, 3 और 4 यह समझने के बारे में है कि विभिन्न समूहों जैसे महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग तरह के अनुभव वाले लोगों को स्वतंत्रता का अनुभव किस प्रकार होता है और वे बाधाएं क्या हैं? जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में रुकावट पैदा करती है। यह संभवतः विद्यार्थियों में अधिक समानुभूति पैदा करेगा जब छात्र उनके साथ जुड़ेंगे और एक विशिष्ट समूह / समुदाय के नागरिकों पर अनुचित प्रतिबंध लगाए जाने पर अपनी राय देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस विचार के साथ अंत करें कि हमें इन सभी अनुभवों से सीखना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता के महत्व पर विचार करना चाहिए और सभी के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए।

पुस्तकों के साथ सम्बन्ध (केवल कक्षा 9 एवं 11 के लिए)

1. यह भाग कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों की महीने से सम्बंधित विषय पर गहरी समझ विकसित करेगा और उनके स्वतंत्रता से सम्बंधित पूर्व ज्ञान और सर्वे के बाद समझ को वो और अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएँगे ।
2. शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी स्वतंत्रता से सम्बंधित समझ को कक्षा में शेयर करने के लिए कहेंगे जो उन्होंने सर्वे और स्वतंत्रता आधारित खेल के दौरान अनुभव किये । शिक्षक निम्न प्रश्नों के माध्यम से अधिगम को सारांशित कर सकते हैं:
 - क्या आपने पाठ्यपुस्तकों में स्वतंत्रता के बारे में कभी पढ़ा है ?
 - आपने जो सर्वे के दौरान पाया क्या वह आपकी पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ज्ञान से मेल खाता है ?
 - आप दूसरो के जीवन में किस प्रकार स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ? साथ ही साथ इस सन्देश को कैसे फैला सकते हैं?

प्रोग्राम : पैनल परिचर्चा

- स्टूडेंट कौंसिल क्लब तीसरे सप्ताह के लिए महीने के विषय के अनुसार पैनल परिचर्चा का प्रबंध कराएगा ।
- कक्षा 6 से 8 के चयनित विद्यार्थी एक पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे व कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी दूसरे पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे।
- कक्षा 6 से 8 में से प्रत्येक के दो दो निपुण वक्ता और कक्षा 9 एवं 11 से प्रत्येक तीन तीन निपुण वक्ता अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टूडेंट कौंसिल क्लब की तरफ से आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लेंगे (हर पैनल में कुल 6 विद्यार्थी होंगे)।
- स्टूडेंट कौंसिल क्लब अभिभावकों , सदस्यों, एलुमनाई और समुदाय के अन्य सदस्यों को पैनल परिचर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे।
- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी पैनल परिचर्चा में अपने स्वतंत्रता सम्बन्धी सर्वे के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर चर्चा करेंगे।
- कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी सर्वे से प्राप्त अनुभव, पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी ज्ञान, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर पैनल परिचर्चा में चर्चा करेंगे।
- स्टूडेंट कौंसिल क्लब के प्रभारी शिक्षक ही मॉडरेटर के रूप में पैनल परिचर्चा को चलाएंगे । पैनल परिचर्चा सम्बन्धी दिशानिर्देश पाठ योजना में दिए जायेंगे । इसके साथ साथ सम्बन्धी प्रश्न भी क्यूकार्ड में दिए जाएँगे।

मॉडरेटर की भूमिका

फैसिलिटेटर

एजेंडा सेट करना , चर्चा सही दिशा में हो इस पर ध्यान रखना , महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करना , साथ ही साथ हर पेनलिस्ट/ वक्ता को अपनी राय देने का मौका देना ।

समय निर्धारक

निर्धारित एजेंडे के अनुसार चर्चा निर्धारित समय और विषय अनुसार रहे । किसी एक बिंदु पर बहुत कम और बहुत अधिक समय न लगे इसका भी ध्यान रखे।

संवाद कर्ता

चर्चा जीवंत रहे और हर वक्ता विषय केंद्रित रहे । श्रोताओं को भी पैनेलिस्ट से प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं जो विषय से सम्बन्धी हो।

एनरजाइजर

मॉडरेटर श्रोताओं को पैनल परिचर्चा के साथ जोड़े रखेंगे।

तटस्थ और उद्देश्यपरक

मॉडरेटर अपने पूर्वाग्रहों और अपने व्यक्तिगत भावों को प्रदर्शित न करे , न ही किसी पक्ष का साथ दे और न ही किसी विचार को खारिज करे।

सारांश और सकारात्मक अंत

सभी पैनेलिस्ट के विचारों को श्रोताओं के समक्ष सकारात्मक भाव से सारांशित किया जायेगा साथ ही जो भी पैनल में विचार साझा किए गए उन्हें अधिगम रूप में सारांशित किया जाएगा।